

15/01/25

अधिवक्ता अपीलॉट ने आर्चना पत्र पेश कर  
निवेदन किया कि अपीलॉट उक्त अपील के  
चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण में आगामी  
पेशी 15/01/25 नियत है। अतः उक्त पत्रावली  
आज ही पेशी में ली जाऊँ जारिचे नोट-  
डेल स्वारिज करवाई जावे।

अधिवक्ता अपीलॉट का आर्चना पत्र न्यायक  
में स्वीकार किया जाता है। एवं पत्रावली  
आज ही पेशी में लिये जाने का आदेश  
दिया जाता है। एवं उक्त अपील जारिचे  
नोट-डेल स्वारिजे स्वारिज की जाती है।  
पत्रावली फैसल शुमार होऊँ नम्बर के उक्त  
होऊँ दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

पांचारास

~~अधीन~~ ~~सुपरी~~